संख्या–3968 / X-2–2009–12(9) / 2006 टी0सी0

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल
अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

1. प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून.

2. प्रमुख वन संरक्षक,
ग्राम वन पंचायत एवं संयुक्त प्रबन्धन
उत्तराखण्ड, नैनीताल.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 02 नवम्बर, 2009

विषय:–वन पंचायतों द्वारा जल संरक्षण, संवर्द्धन एवं मृदा संरक्षण हेतु क्षेत्र उपचार का कार्य समीपस्थ आरक्षित वन क्षेत्रों में किये जाने के सम्बन्ध मे.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराया जाना है कि उत्तराखण्ड एक वन बाहुल्य, जैवीय विविधतायुक्त तथा पारिस्थितिकीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील राज्य है, जिसका अधिकांश भाग पर्वतीय है। यहां की मिट्टी पथरीली एवं भूमि कटाव से प्रभावित है। अधिकांश नैसर्गिक जल स्रोत प्राकृतिक वनों में उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है। मनुष्य तथा पशुओं के बढ़ते जैविक दबाव, प्राकृतिक संसाधनों यथा मृदा, जल एवं वनस्पति के अवैज्ञानिक दोहन एवं त्रुटिपूर्ण भू–उपयोग गतिविधियों को अपनाने के कारण परिस्थितिकीय तन्त्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसके फलस्वरूप हमारी जीवनदायिनी नदियों के उच्च जलग्रहण क्षेत्रों एवं आरक्षित वनों में स्थित पेयजल स्रोतों का ह्रास हुआ है। यह सर्वविदित है कि प्रदेश में वन प्रबन्धन में वन पंचायतों के माध्यम से परम्परागत तौर पर सामुदायिक भागीदारी रही है। वन पंचायतों के प्रबन्धन हेतु प्रदेश में शासन द्वारा उत्तरांचल पंचायती वन नियमावली 2005 विज्ञप्त की गई है। इसके अनुसार वन पंचायतों का मुख्य उद्देश्य वन तथा पर्यावरण की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाना है। इन कार्यों के लिए वन पंचायतों को पृथक रूप से किसी भी कार्यदायी संस्था से धनराशि प्राप्त करने का अधिकार प्राविधानित किया गया है। वर्तमान

क्रमशः 2

My Computer/D:/Ansari/G.O. Letter 2009

में मृदा एवं जल संरक्षण तथा संवर्द्धन की आवश्यकता को देखते हुए प्रदेश में विभिन्न विभागों यथा जलागम, कृषि, पेयजल, बैम्बू बोर्ड, बॉयोफ्यूल बोर्ड, ग्राम्य विकास एवं वन विभाग द्वारा क्षेत्र उपचार के विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। भविष्य में भी प्रदेश की पेयजल एवं भू–क्षरण से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु भावी परियोजनायें यथा मनरेगा, जलागम विकास (समान मार्गदर्शी सिद्वान्त–2008 के अन्तर्गत), बाह्य सहायतित परियोजनाओं, केम्पा द्वारा वित्त पोषित वानिकी परियोजनायें इत्यादि में भी इन गतिविधियों को स्थानीय ग्राम समुदाय के साथ सहभागिता के आधार पर क्रियान्वित किया जाना है। आरक्षित वनों के समीप निवास कर रहे ग्रामीण पारम्परिक रुप से चरान, चुगान अथवा जलौनी हेतु इन वनों पर आश्रित हैं। इन वनों में स्थित जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्द्धन तथा मृदा संरक्षण सम्बन्धित कार्यो में स्थानीय समुदाय की वन पंचायतों के माध्यम से भागीदारी सुनिश्चत की जानी चाहिए।

2— अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ वन पंचायतों द्वारा जल संरक्षण, संवर्द्धन एवं मृदा संरक्षण हेतु क्षेत्र उपचार का कार्य समीपस्थ आरक्षित वन क्षेत्रों में किया जा सकेगा:—

1. स्थानीय वन पंचायत सम्बन्धित ग्रामों से सटे हुए आरक्षित वन क्षेत्र में क्षेत्र उपचार का कार्य वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में करेगी। इस हेतु वन पंचायत का चयन संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
2. वन पंचायत द्वारा उत्तरांचल पंचायती वन नियमावली 2005 के प्राविधानों के अनुरूप किसी भी परियोजना/कार्यदायी संस्था/विभाग से जल स्रोतों के संवर्द्धन, संरक्षण एवं क्षेत्र उपचार हेतु धनराशि प्राप्त की जा सकेगी।
3. वन पंचायत द्वारा क्षेत्र उपचार हेतु स्थलीय विकास योजना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं परियोजना अधिकारी के तकनीकी एवं वित्तीय मार्ग निर्देशन में तैयार की जायेगी।
4. स्थलीय विकास योजना सम्बन्धित प्रभाग/विभाग/कार्यदायी संस्था/प्रोजेक्ट के कार्ययोजना में दिये गये निर्देशों के अनुरूप होगी एवं सम्बन्धित प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधानों को ध्यान में रखते हुए स्थलीय विकास योजना अनुमोदित करेंगे।
5. स्थलीय विकास योजना में ऐसा कोई कार्य वन पंचायत अथवा सम्बन्धित परियोजना प्राविधानित नहीं करेंगे, जिससे वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के किसी भी प्राविधान का उल्लंघन हो।

क्रमशः 3

My Computer/D:/Ansari/ G.O Letter 2009

6. आरक्षित वन क्षेत्रों के लिए अनुमोदित "स्थलीय विकास योजना" में चिन्हित कार्यों के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यथा–आवश्यकता विचलन विवरण तैयार कर प्रभाग की कार्य/प्रबन्ध योजना से होने वाले विचलन के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

7. क्षेत्र उपचार योजना का क्रियान्वयन स्थानीय वन पंचायत एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी तथा सम्बन्धित परियोजना अधिकारी के मध्य एक अनुबन्ध के तहत संयुक्त वन प्रबन्धन के माध्यम से किया जायेगा। अनुबन्ध की शर्तों का अनुपालन उभय पक्षों द्वारा किया जायेगा। किसी एक पक्ष द्वारा अनुबन्ध की शर्तों का अनुपालन न किये जाने पर अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित वन पंचायत एवं परियोजना/कार्यदायी संस्था/विभाग का कोई दावा/क्लैम नही होगा।

8. क्षेत्र उपचार हेतु अंतिम भुगतान सम्बन्धित (परियोजना/कार्यदायी संस्था/विभाग) के द्वारा वन विभाग/सम्बन्धित विभाग के अधिकृत अधिकारी के सत्यापन के बाद ही सम्बन्धित वन पंचायत को किया जायेगा। वन पंचायतों द्वारा किये गये व्यय का लेखा–जोखा नियमानुसार रखा जायेगा तथा इनके खातों का वार्षिक सम्परीक्षण (आडिट), भारत सरकार के महालेखा नियन्त्रक के द्वारा अधिकृत चार्टेड एकाउन्टेंट फर्म द्वारा किया जायेगा।

9. (क) कार्य सत्यापन तथा कार्य संचालन एवं क्रियान्वयन सम्बन्धित विभाग/परियोजना की निर्धारित गाईड लाईन्स के अनुसार ही Forest (Conservations) Act, 1980 एवं संगत अधिनियमों/नियमावली के प्राविधानों को ध्यान में रखते हुए किये जायेंगे। अधिनियम/नियमावली के किसी प्राविधान का उल्लंघन होने पर सक्षम स्तर से कार्यवाही की जायेगी।

(ख) कार्यदायी संस्था/परियोजना/सम्बन्धित विभाग द्वारा समय–समय पर वन पंचायतों द्वारा आरक्षित वन में करवाये जा रहे क्षेत्र उपचार का स्थलीय सत्यापन एवं अनुश्रवण वन विभाग को पूर्व में सूचित करने के उपरान्त किया जा सकेगा।

10. आरक्षित वन क्षेत्रों में वन पंचायतों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की सुरक्षा का दायित्व परियोजना अवधि के अंतर्गत वन पंचायतों द्वारा वन विभाग के मार्ग निर्देशन में एन0ओ0यू0 के अनुसार किया जायेगा एवं इस उपचार क्षेत्र का ब्यौरा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा रखा जायेगा।

क्रमशः 4

11. सम्बन्धित आरक्षित वनों के उपचार क्षेत्रों में परियोजना अवधि के दौरान अवैध कटान, अवैध शिकार, वन अपराधों एवं अग्नि से सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित वन पंचायत की होगी।
12. आरक्षित वन क्षेत्रों में उपचार के अन्तर्गत किये गये कार्यों के सापेक्ष वन पंचायतों को भविष्य में उपचार क्षेत्र से वन उपज अथवा अन्य कोई लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
13. राज्य स्तर पर प्रमुख वन संरक्षक, (वन पंचायत) एवं वन विभाग की ओर से अन्य सभी विभागों, परियोजनाओं इत्यादि से समन्वय का कार्य करेंगे।

कृपया तद्नुसार यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नृप सिंह नपलच्याल)
अपर मुख्य सचिव

संख्या—3108 (1)/X—2—2009, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं यथावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव—मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,
02/12/09
(आर0के0मिश्र)
अपर सचिव

My Computer/D:/Ansari/ G.O. Letter 2009